रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2199] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 22, 2010/आश्विन 30, 1932
No. 2199] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2010/ASVINA 30, 1932

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2609(अ).—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 5 और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 2 के खण्ड (थ) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय की दिनांक 19 जून, 2001 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 439(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, अंतिम पैराग्राफ में, "दक्षिण की ओर" शीर्षक के अंतर्गत, "अंक्षास के समानांतर" शब्दों से आरम्भ होने वाले और "गैर ज्वारीय हिस्से के लिए वर्ष में किसी भी समय" शब्दों से समाप्त होने वाले हिस्से को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

अक्षांश "20°20' उत्तर के समानांतर । इस नहर और जलमार्गों की सीमाओं में, नौचालनात्मक जलमार्गों के सभी हिस्से शामिल हैं, पूर्व की ओर देशांतर 089°01' पूर्व और पश्चिम की ओर निम्नलिखित समन्वय को जोड़ने वाली रेखा के मध्य अवस्थित है :-

(क) अक्षांश 21°33' उत्तर देशांतर 087°23' पूर्व

(ख) अक्षांश 21°00' उत्तर देशांतर 087°05' पूर्व

(ग) अक्षांश 21°03' उत्तर देशांतर 087°18' पूर्व

(घ) अक्षांश 21°20' उत्तर देशांतर 087°18' पूर्व

हुगली नदी और भागीरथी नदी और हुगली नदी के उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं के नीचे ज्वारीय हिस्से के वर्ष के किसी भी मौसम में सामान्य ज्वर के उच्च बिंदु तक पहुँचने तक यथा गैर ज्वारीय हिस्से के लिए वर्ष के किसी भी समय प्रायः जल द्वारा नदी के तल को ढकने तक" ।

[फा. सं. पी आर-23011/2/2010-पीजी]
राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल अधिसूचना, 19 जून, 2001 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 439(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2010

S.O. 2609(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and clause (q) of Section 2 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby alters the limits of the Port of Kolkata and for this purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping number G.S.R. 439(E), dated the 19th June, 2001, namely :—

In the said notification, in the last paragraph, under the heading "On the South" for the portion beginning with the words "the parallel of latitude" and ending with the words "at any time of the year for the non-tidal portion", the following shall be substituted, namely :—

"the parallel of latitude 20°20' N. The limits of the said river and channels include all parts of the navigable channels which lie between the longitude of 089°01' E on the East and the line joining the following coordinates on the West :—

(a) Lat 21°33' N Long 087°23' E

(b) Lat 21°00' N Long 087°05' E

(c) Lat 21°03'N Long 087°18' E

(d) Lat 20°20' N Long 087°18' E

of river Hoogly and all parts of river Bhagirathi and Hoogly between the northern and southern limits below the highest point reached by ordinary spring tides at any season of the year for tidal portion, and the bed of the river habitually covered by water at any time of the year for the non-tidal portion."

[F. No. PR-23011/2/2010-PG]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal notification was published *vide* number G.S.R. 439(E), dated the 19th June, 2001.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.